प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 25/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

देवनारायण मीणा निवासीः 60, विद्या नगर, सेक्टर-4, हिरणमगरी, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार खेरवाड़ा उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/04/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 22.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/25/24/362-63 दिनांक 13.03.2024 से लिखा गया परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 38 दिनांक 25.01.2024 की प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय से संबंधित नहीं है।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उक्त सूचना आवेदन करने के 30 दिन उपरान्त प्रेषित की गई है, साथ ही अपील में कोई जवाब/प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर अपीलार्थी नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ नियमानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार खेरवाड़ा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर